

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

-: आदेश :-

श्री ओमप्रकाश सैनी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 42/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2019 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 1958 के नियम 10(1) के प्रावधान अंतर्गत राजकीय आवास संख्या 1/42, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में), जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—


1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवारा में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—मध्यै
(महेन्द्र कुमार खांचौ)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. श्री ओमप्रकाश सैनी, आई.ए.एस., प्रमुख शासन सचिव, जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग, जयपुर।
4. श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, आई.ए.एस., निवासी-1/42, गांधीनगर, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कञ्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भट्टनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामाजिक प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

—: आदेश :—


श्रीमती गायत्री राठौड़, आई.ए.एस., शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 17/2009 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2035 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/34, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तों :—

1. आवास का कब्जा आवंटन तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और दसूनी नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असाइल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका गकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

श्री अशोक कुमार राठौड़, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, जोधपुर को उनके जयपुर पदस्थापन के दौरान प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 2/2008 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र / 2 / 2013 दिनांक 20.2.2014 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 1/34, गांधीनगर का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (महेन्द्र कुमार खिंचोली)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्रीमती गायत्री राठौड़, आई.ए.एस., शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. श्री अशोक राठौड़, आई.पी.एस., निवासी - १/११ गांधीनगर जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, दर्गार्मिक (क-१) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज० जयपुर को आईडी संख्या 29/M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविठ०/जन स्वाठनिविठ०/जयपुर विविठनिगम लि�०, गांधीनगर जयपुर।
13. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना को भी अमल में लावें।
14. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-४) विभाग।
16. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-५) विभाग।
17. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
19. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
20. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

21 NOV 2014.

श्री विश्वमोहन शर्मा, आई.ए.एस., संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 70 / 2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 28.2.2038 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या ॥/60, एवीएस, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अप्रिये में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजरथान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन खोकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पर्ति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. श्री विश्वमोहन शर्मा, आई.ए.एस., संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री एन.मोरिस बाबू आई.पी.एस., निवासी- ॥/60, एवीएस, गांधीनगर जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजरथान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप'-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्पा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

—: आदेश :-

श्री हनुमान सिंह भाटी, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 40/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2019 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/ए/6, षष्ठम् तल, बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—


1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—मध्य
(महेन्द्र कुमार खोचो)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. श्री हनुमान सिंह भाटी, आई.ए.एस., सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, साठनीवी0/जन स्वाठाभिनीवी0/जयपुर वीवीनिगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को —कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चाको गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
16. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
17. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रावे।
19. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

—: आदेश :—

श्री नवीन जैन, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, नेशनल हैल्थ मिशन, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 13/2011 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.4.2035 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रश्न करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 20-एफ, हीराबाग, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सोवैल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस दोत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खांची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
 2. जिला कलक्टर, जयपुर।
 3. श्री नवीन जैन, आई.ए.एस., मिशन डायरेक्टर, नेशनल हैत्थ मिशन, जयपुर।
 4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 8. कौषधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय / जयपुर शहर, जयपुर।
 9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, हीराबाग, जयपुर।
 10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने का स्थात म आवटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
 13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 14. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 16. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 17. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 19. रक्षित पत्रावली।

200

(मंजू भटनागर)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-२) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014


—: आदेश :—

श्री अम्बरीश कुमार, आई.ए.एस., निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 14/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2035 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या ।/ए/3, तृतीय तल, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से ४ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से ४ दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के हारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर अश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्त भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


 (महेन्द्र कुमार खात्री)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
 2. जिला कलक्टर, जयपुर।
 3. श्री अम्बरीश कुमार, आई.ए.एस., निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
 4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 7. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/ जयपुर शहर, जयपुर।
 9. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
 10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 11. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 12. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप'-4) विभाग।
 13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 14. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 16. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 17. प्रबन्धक ड्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 19. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भट्टनागर)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014


—: आदेश :—

श्री पंकज कुमार सिंह, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 41/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.12.2022 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/10, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्तें:-

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खांची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
 2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
 3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
 4. जिला कलक्टर, जयपुर।
 5. श्री पंकज कुमार सिंह, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सी.आई.डी. (अपराध शाखा), राजस्थान, जयपुर।
 6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 10. कोषधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 11. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
 12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप'-4) विभाग।
 15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
 18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 21. रक्षित पत्रावली।


(मंजु भट्टनागर)

शासन सहायक सचिव

२

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

—: आदेश :—

श्री शिवलाल जोशी, आई.पी.एस., उपमहानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 37/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2016 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/ए/7, सप्तम तल, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—मंदूर
(महेन्द्र कुमार खाँचो)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
5. श्री शिवलाल जोशी, आई.पी.एस., उपमहानिरीक्षक पुलिस, कार्मिक, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, साठनिविवि/जन स्वाठाभिविवि/जयपुर विविविगम लिंग, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञा, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप'-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्खा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.।(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

श्री विकास पाठक, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, आसूचना (इन्टेर्लीजेंस), जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 68/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.7.2041 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आठट आफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 105, प्रथम तल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा रूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही हो पदरथापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार खीरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्मागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. श्री विकास पाठक, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, आसूचना (इन्टेर्लीजेंस), जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1, विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, मालवीय नगर / गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या—6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रगुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

—: आदेश :—

श्री मनीष अग्रवाल, आई.पी.एस., पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 69/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.1.2043 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिविलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 101, प्रथम तल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, (रिक्त होने की प्रत्याशा में) जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इरा अद्यति में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पति/ बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन रवीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुद्वेष्य हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रवंय/पालि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समाप्ति पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की ओज़ाना से,

— अध्यक्ष
(महेन्द्र कुमार खोंची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. श्री मनीष अग्रवाल, आई.पी.एस., पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, मालवीय नगर/गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भटनागर)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014


—: आदेश :—

श्री कुंवर राष्ट्रदीप, आई.पी.एस., पुलिस उपायुक्त, जयपुर-पूर्व, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 65/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2039 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 602, षष्ठम तल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया गत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. श्री कुंवर राष्ट्रदीप, आई.पी.एस., पुलिस उपायुक्त, जयपुर-पूर्व, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29/M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, मालवीय नगर/गांधीनगर, जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवाटत आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को —कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।


(मंजू भट्टनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014


—: आदेश :—

श्री जंगा श्रीनिवासराव, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 6/2010 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2024 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या 1/35, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में), जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और पहुंचनी नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पति/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खीचौ) प
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्री जंगा श्रीनिवासराव, आई.पी.एस., पुलिस आयुक्त, जयपुर।
5. श्री सुधांश पंत, आई.ए.एस., निवासी-१/३५, गांधीनगर जयपुर- को भेजकर लेख है कि कृपया आवास रिक्त कर सूचित करने का श्रम करें।
6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मक (क-१) विभाग, जयपुर।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज० जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-६ की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-४) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-५) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-३) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. प्रबन्धक विशाम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

(मंजू भटनागर)

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014


—: आदेश :—

श्री महेश कुमार गोयल, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, इन्टेर्लीजेंस, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 3/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.6.2017 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आर्ट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/ए/9, नवम् तल, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका भकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय ढो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(महेन्द्र कुमार खिच्री)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
 2. सम्मागीय आयुक्त, जयपुर।
 3. जिला कलक्टर, जयपुर।
 4. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
 5. श्री महेश कुमार गोयल, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, इन्टेरीजेंस, जयपुर।
 6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 9. मुख्य अभियन्ता (भरन्न) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
 12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
 15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 21. रक्षित पत्रावली।

मंजु भटनागर

शासन सहायक सचिव

४

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 2 | NOV 2014.

—: आदेश :—

डॉ. नितिन दीन ब्लग्गन, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर-ग्रामीण, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 39/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.11.2037 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 702, सप्तम् तल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में), जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश खतः निरस्त समझा जायेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—मध्य
(महेन्द्र कुमार खोची)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
 2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
 3. जिला कलकटर, जयपुर।
 4. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
 5. डॉ. नितिन दीन ब्लगगन, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, जिला जयपुर-ग्रामीण, जयपुर।
 6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 11. अधिशासी अभियन्ता, साओनिवि0/जन स्वाइअभिवि0/जयपुर विविविनिगम लि0, मालवीय नगर/गांधीनगर, जयपुर।
 12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
 15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
 21. रक्षित पत्रावली।

गुरु
(मंजू भट्टनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (युप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक

—: आदेश :—

डॉ. गगनदीप सिंगला, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सीबी), जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता संख्या 67/2014 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 28.2.2045 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 605, षष्ठम तल, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास रथान के किराय का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 3. सेवानिवृति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
 5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जाएगा।
 7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

— महेन्द्र कुमार खींची
(महेन्द्र कुमार खींची)
शासन उप राजिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
 2. पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर।
 3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
 4. जिला कलक्टर, जयपुर।
 5. डॉ. गगनदीप सिंगला, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. (सीबी), जयपुर।
 6. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
 7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राज0 जयपुर को आईडी संख्या 29 / M/GAD/14 दिनांक 17.11.2014 के क्रम में।
 9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
 11. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्चा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, मालवीय नगर / गांधीनगर, जयपुर।
 12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की रित्थति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 14. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
 15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
 18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
 19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
 20. निजो सचिव, प्रगुख शासन सचिव, साप्रदि।
 21. रक्षित पत्रादली।

३८
(मंत्रू भट्टनागर)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य आशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 21 NOV 2014

-: आदेश :-

श्री जी. विश्वनाथ रेड्डी, आई.एफ.एस., अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोजेक्ट फारमूलेशन कॉरडीनेशन), जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 14/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2020 है, के आधार पर उनके निलास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आउट ऑफ टर्न के आधार पर राजकीय आवास संख्या 1/१/८, अष्टम तल, बहुमंजिला, गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तः-

- आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—महेन्द्र कुमार खीरी
(महेन्द्र कुमार खीरी)
शासन उप सचिव